प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक हिन्दुस्तान
कानपुर संस्करण, कानपुर नगर।

पत्रांक 19-22 /बा0वि0परि0/नि0(कैम्प)/2022–23, दिनांक 11 मई, 2022

विषय– दिनांक 10.5.2022 को कानपुर संस्करण के पृष्ठ संख्या 11 पर प्रकाशित विज्ञप्ति के खण्डन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उर्पयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्यालय निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ की ओर से कतिपय पदों के रिक्तियों को भरने के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस तरह की कोई विज्ञप्ति निदेशालय की ओर से आपको प्रकाशनार्थ नही भेजा गया हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भी इस तरह की कोई विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ नही दी गयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विज्ञप्ति अधिकारिक तौर पर आपके यहाँ प्रकाशनार्थ नही भेजी गयी है तथा उक्त प्रकाशन प्रथम दृष्टया अनाधिकृत है। **निदेशालय स्तर से इस फर्जी विज्ञप्ति का खण्डन किया जाता है।**

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का खण्डन प्रकाशित करने के साथ–साथ यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त विज्ञप्ति आपके पास किस माध्यम से प्रकाशनार्थ आयी थी, ताकि संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन **संख्या–** /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 1. निदेशक, सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि इस प्रकरण की गहनता से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के साथ–साथ इस फर्जी विज्ञप्ति जारी करने में संलिप्त व्यक्तियों कि विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक।